प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टड अकाउंटेन्टस) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा किये जाने के अधीन है और उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी टिप्पणी देते है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करते है। इसके अतिरिक्त, यह कम्पनियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा नियम) अधिनियम, 1971 की धारा 19–अ के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा के पटल पर रखने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2013–14 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा वह भी जो विगत वर्षो में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हे पिछले प्रतिवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2013–14 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।